"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 856] रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2019 — पौष 2, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13128/डी. 231/21–अ/प्रारू./छ.ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18–12–2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 20 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019.

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 2 में, खण्ड (तीस) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(इकतीस) "निःशक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति;"

धारा 13 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम में, धारा–13 में, उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहॉ राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र एक निःशक्त व्यक्ति को विहित रुप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो दो वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगी। ऐसे नामनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/ कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।"

धारा 22 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम में, धारा 22 में, उप–धारा (1) में, खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहॉ राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र दो निःशक्त व्यक्ति (एक महिला तथा एक पुरुष) को विहित रुप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिये होगा, जो एक वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।"

धारा 29 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम में, धारा 29 में, उप–धारा (1) में, खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहॉ राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र दो निःशक्त व्यक्ति (एक महिला तथा एक पुरुष) को विहित रुप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिये होगा, जो एक वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।"

6. मूल अधिनियम में, धारा 36 में, उप–धारा (1) में, खण्ड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :– धारा 36 का संशोधन.

"(ढ) जो साक्षर नहीं है;"

7. मूल अधिनियम में, धारा 44 में, धारा 44 का संशोधन.

(एक) उप–धारा (2) में, शब्द "अधिकार होगा" के पश्चात्, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु नामांकित निःशक्त व्यक्ति का पंचायत के सम्मिलन/कार्यवाहियों में भाग लेने के संबंध में अधिकार ऐसे होंगे, जैसा कि विहित किया जाए, किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।"

8. मूल अधिनियम में, धारा 46 में, उप–धारा (2) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– धारा 46 का संशोधन.

"परन्तु यह और कि नामांकित निःशक्त व्यक्ति उन समितियों का सदस्य होगा, जो कि विहित की जाए।"

9. मूल अधिनियम में, धारा 47 में, उप–धारा (4) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :– धारा 47 का संशोधन.

"परन्तु यह और कि नामांकित निःशक्त व्यक्ति उन समितियों का सदस्य होगा, जो कि विहित की जाए।"

अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13128/डी. 231/21–अ/प्रारू./छ.ग./19. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण मे इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23–12–2019 का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 20 of 2019)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019.

A Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), (hereinafter as the Principal Act), in Section 2, after clause (xxx), the following shall be added, namely:-

"(xxxi) "Person with disability" means a persons with disability as defined in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016);"

Amendment of Section 13.

3. In the Principal Act, in Section 13, after sub-section (1), the following shall be substituted, namely :-

''Provided that, where after the election of Panchayat, if there is no representation of person with disability, the State Government or any authority authorized by it shall nominate one person with disability as prescribed, to be eligible for being office bearer of Panchayat. Such nominated person shall be nominated for the remaining period of that Panchayat which shall be limited not less than the period of 2 years. The rights and duties of such nominated person under the provisions of this act shall be, as may be prescribed.''

Amendment of Section 22.

4. In the Principal Act, in Section 22, in sub-section (1), after clause (i), the following shall be added, namely:-

"Provided that, where after the election of Panchayat, if there is no representation of person with disability, the state government or any authority authorized by it shall nominate two persons with disability (one male and one female) as prescribed, to be eligible for being office bearer of Panchayat. Such nominated person shall be nominated for the remaining period of that Panchayat which shall be limited not less than the period of 1 year. The rights and duties of such nominated person under the provisions of this act shall be, as may be prescribed."

Amendment of Section 29.

5. In the Principal Act, in Section 29, in sub-section (1), after clause (i), the following shall be added, namely:-

"Provided that, where after the election of Panchayat, if there is no representation of person with disability, the state government or any authority authorized by it shall nominate two persons with disability (one male and one female) as prescribed, to be eligible for being office bearer of Panchayat. Such nominated person shall be nominated for the remaining period of that Panchayat which shall be limited not less than the period of 1 year. The rights and duties of such nominated person under the provisions of this act shall be, as may be prescribed."

Amendment of Section 36.

6. In the Principal Act, in Section 36, in sub-section (1), for clause (n), the following shall be substituted, namely :-

"(n) who are not literate;''

7. In the Principal Act, in Section 44,- **Amendment of Section 44.**

(i) in sub-section (2), after the words "meeting of the Panchayats", for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;

(ii) after sub-section (2), the following shall be added, namely:-

"Provided that rights related to participation in meeting/proceedings of the Panchayat of nominated persons with disability shall be, as may be prescribed, but they shall not have right to vote."

8. In the Principal Act, in Section 46, in sub-section (2), after the second proviso, the following shall be added, namely:- **Amendment of Section 46.**

"Provided further that nominated persons with disability shall be member of such Committees, as may be prescribed."

9. In the Principal Act, in Section 47, in sub-section (4), after the second proviso, the following shall be added, namely:- **Amendment of Section 47.**

"Provided further that nominated persons with disability shall be member of such Committees, as may be prescribed."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.